न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 161/2018

श्रीकिशन पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भंडाना तह0 दौसा –मृतक

1/1 सरजो देवी बेवा स्व. श्रीकिशन

1/2 राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्रीकिशन

1/3 नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्रीकिशन
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भंडाना तह0 दौसा जिला दौसा

1/4 अनीता देवी पुत्री श्रीकिशन पत्नि महेश कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम जौंण तहसील दौसा

1/5 सुनीता पुत्री श्रीकिशन पत्नि विक्रम कुमार शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी प्लॉट नंबर 53, भैरू मीना का बाग, आमेर रोड, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

1/6 मदनलाल पुत्र स्व. श्रीकिशन

...अपीलांट्स

बनाम

1. रामोतार पुत्र रामसहाय
2. दीनदयाल पुत्र हरिप्रसाद
3. गोपाल पुत्र हरिप्रसाद
4. मनभरी पत्नि हरिप्रसाद
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

..रेस्पों.

अपील अंतर्गत धारा 225 रा0काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध तकास्मा तहसीलदार दौसा दिनांक 29.6.2018 क्रमांकःरा.लो.अ.18–484 बाबत खाता सं0 259 वाके ग्राम जीरोता खुर्द की कृषि भूमि के संबंध में।

उपस्थितः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 से 4 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांक 10.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित तकास्मा आदेश दिनांक 29.6.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट्स व रेस्पों0 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा ग्राम जीरोता खुर्द में खाता सं0 259 के आराजी खसरा नं0 72, 74, 88, 89, 244, 245/1147, 246/1148, 247/1149, कुल किता कुल रकबा 8.56है. भूमि स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में रामोतार पुत्र रामसहाय का हिस्सा 1/3, श्रीकिशन पुत्र रामसहाय हि. 1/3, दीनदयाल पुत्र हरिप्रसाद, गोपाल पुत्र हरिप्रसाद, मनभरी पत्नि हरिप्रसाद हि.1/3 दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि में अपीलांट्स का हिस्सा 1/3 है व खातेदार है। रेस्पों. सं0 1 से 4 जो कि चतुर व चालाक आदमी है। अपीलांट के पति/पिता जो कि एक देहाती अनपढ व्यक्ति थे, जिसकी अशिक्षितता का नाजायज

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:06:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

फायदा उठाकर आपसी सहमति से तकास्मा करने हेतु तहसीलदार दौसा के यहाँ राजस्व कैंप में तकास्मा कराने हेतु अपीलांट का अंगूठा लगाकर पेश कर दिया और अवैध तरीके से पटवारी हल्का व अन्य कर्मचारियारें से साज़ करके हिस्से अनुसार तकास्मा नही किया बल्कि अपीलांट को खसरा नंबर 88, 244/1, 245/1147 कुल रकबा 1.30है. तथा रामोतार को खसरा नंबर 741/1, 89/1, 241/3 कुल रकबा 3.62है. व दीनदयाल व श्रीगोपाल आदि को खसरा नंबर 89/2, 71, 72, 74/2, 241/2, 246/1148, 247/1149 कुल रकबा 3.64है. भूमि तकास्मा अनुसार दी गई है। जबकि अपीलांट के हिस्से अनुसार उसके हिस्से में 2.85है. भूमि आनी चाहिए थी तथा जो तकास्मा किया गया है वह मौके अनुसार नहीं किया गया है बल्कि रेस्पों0 ने रोड के लगती हुई भूमि तो खुद के नाम तकास्मा में करा ली व पीछे की जमीन अपीलांट को दे दी। जबकि तकास्मा प्रथम तो हिस्से अनुसार किया जाना चाहिए था तथा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि अपीलांट को मिलनी चाहिए थी परन्तु रेस्पों. ने अपीलांट की अशिक्षितता का नाजायज फायदा उठाकर अवैध तरीके से सहमति के आधार पर तकास्मा कराया है जो नियम विरूद्ध है। तहसीलदार ने अपीलांट से तकास्मा करने बाबत कोई पूछताछ नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार का तकास्मा आदेश इसलिए भी अवैधानिक है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से के अनुसार तकास्मा नहीं किया बल्कि अपीलांट को केवल मात्र 1.30है0 भूमि तकास्मा में दी गई है जबकि रेस्पों0 को 3.62 है0 व 3.64है0 भूमि दी है। जबकि कानूनन हिस्से अनुसार ही भूमि का तकास्मा किया जाना चाहिए था। रेस्पों. ने तहसीलदार व पटवारी से साज करके गलत तकास्मा करवाया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व रेस्पों. के मध्य यह सहमति हुई थी कि अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि तकास्मा में आयेगी परन्तु रेस्पों. ने मिलीभगत करके नेशनल हाईवे से लगती हुई जमीन तो अपने नाम तकास्मा में करा ली व पीछे की खराब भूमि अपीलांट को तकास्मा में दे दी, इस प्रकार तकास्मा विधिवत रूप से नहीं हुआ जो कि निरस्त योग्य है। तहसीलदार दौसा ने तमास्मा आदेश पारित किये जाने से कोई पूछताछ नहीं की गई ना ही तकास्मा आदेश अपीलांट की मौजूदगी में किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश व निर्णय दिनांक 29.6.2018 को निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ रिमांड किया जावे कि वे अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिवत रूप से तकास्मा किया जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने दौराने बहस अपीलांट्स व रेस्पों0 सं0 1 से 4 के मध्य राजीनामा होने बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामे के अनुसार अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने जो खाता सं. 259 वाके ग्राम जीरोता खुर्द का विभाजन दिनांक 29.6.2018 का किया है उसमें निम्न प्रकार संशोधन कराना चाहते है जो इस प्रकार है कि: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विभाजन अनुसार खसरा नंबर 89/1 रकबा 0.41है. रेस्पों. रामोतार के नाम नक्शा अनुसार किया गया है व खसरा नंबर 89/2 रकबा 0.41है. रेस्पों. दीनदयाल, शिवगोपाल व मनभरी के नाम नक्शे में दर्शाये अनुसार किया गया है व अपीलांट के नाम खसरा नंबर 88 रकबा 0.18है. किया गया है जिसमे इस प्रकार सं[illegible] दिया जावे कि खसरा नंबर 88 रकबा 0.18है. व खसरा नंबर 89 का इस प्रकार [illegible] किया जावे कि दोनों कर रकबा कुल मिलाकर 1 हैक्टेयर होता है इसमें से [illegible] का उत्तर दक्षिण आर पास हिस्सा खसरा नंबर 88, 89 को मिलाते हुए कुल 1/4 अर्थात 0.25है. भूमि अपीलांट की रहेगी व इससे लगता हुआ पूर्वी ओर का आर पार उत्तर दक्षिण लगते हुए आधे–आधे हिस्से रामोतार व शेष आधा दीनदयाल, शिवगोपाल व गनभरी रेस्पों. के नाम लगा दिया जावे। इस प्रकार तीनों की उत्तर दक्षिण आर पार पट्टी कर दी जावे व इसी प्रकार नक्शे में रंग

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:06:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

भर कर अलग अलग खाते दर्ज किये जावे व शेष भूमि का विभाजन जैसा अधीनस्थ तहसीलदार ने किया है वह यथावत रखा जावे।

4. अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 से 4 एवं राजकीय दोनों पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार भूमि अंकित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि तहसीलदार दौसा ने अपीलांट्स व रेस्पों. के मध्य आपसी सहमति से ग्राम जीरोता खुर्द स्थित आराजी का विभाजन स्वीकार किया गया था जिसमें खसरा नंबर 74/1, 89/1, 244/3, किता 3 रकबा 3.62है. रामावतार पुत्र रामसहाय, खसरा नंबर 88, 244/1, 245/1147 कुल रकबा 1.30है. अपीलांट श्रीकिशन को व खसरा नंबर 89/2, 71, 72, 74/2 कुल रकबा 3.64है. दीनदयाल, शिवगोपाल पि. हरिप्रसाद व मनभरी पत्नि हरिप्रसाद को दिया गया था। चूंकि अब दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार खसरा नंबर 88 रकबा 0.18है. व खसरा नंबर 89 का इस प्रकार विभाजन किया जावे कि दोनों कर रकबा कुल मिलाकर 1 हैक्टेयर होता है इसमें से पश्चिम और का उत्तर दक्षिण आर पास हिस्सा खसरा नंबर 88, 89 को मिलाते हुए कुल 1/4 अर्थात 0.25है. भूमि अपीलांट की रहेगी व इससे लगता हुआ पूर्वी ओर का आर पार उत्तर दक्षिण लगते हुए आधे–आधे हिस्से रामोतार व शेष आधा दीनदयाल, शिवगोपाल व गनभरी रेस्पों. के नाम लगा दिया जावे। इस प्रकार तीनों की उत्तर दक्षिण आर पार पट्टी कर दी जावे व शेष विभाजन को यथावत रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। हम अपील अपीलांट राजीनामा अनुसार आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.2018 को खसरा नंबर 88 व 89 की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष तकास्मा आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए पुनः खसरा नंबर 88 व 89 वाके ग्राम जीरोता खुर्द का राजीनामा अनुसार तकास्मा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं राजीनामा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पक्षकारान दिनांक 24.3.2025 को तहसीलदार दौसा के समक्ष वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 10 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:06:22 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official